हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन 251/2012 अनवान तहसीलदार बाडमेर बनाम गंगादेवी**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर जरिये नोटिस तलब होकर दिनांक 05.06.2018 को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर पत्रावली पेश हो। सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	
05.06.2018	**आदेश** पत्रावली बमुकाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मेघवालों की बस्ती बाडमेर आगोर पर पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर उपस्थित। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी तहसीलदार बाडमेर ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के तहत प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि ग्राम बाडमेर आगोर में स्थित खसरा नम्बर 1734 रकबा 32.07 बीघा भूमि का उपयोग कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ खातेदारान द्वारा लिये जाने के कारण अधिनियम की धारा 177 के तहत उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी पक्ष को सुनवाई हेतु समूचित अवसर दिया गया। तहसीलदार बाडमेर से वादग्रस्त भूमि के बारे में जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई। जिसके अनुसार वादग्रस्त भूमि खालसा सरकार होकर नगर परिषद् बाडमेर के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित हो चुकी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादग्रस्त भूमि नगर परिषद् बाडमेर के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित हो गई। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 177 के तहत किसी प्रकार की कार्रवाई किये जाने का कोई औचित्य प्रकट नही होता है। अतः तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जाता है। आदेश मजमे आम में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर सहायक कलक्टर, (एसडीओ) बाडमेर	

Scanned by CamScanner